

PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

सोमवार

दिनांक :- 02.10.2017

शांति भंग करने के 11 आरोपी गिरफ्तार :-

रामसहाय सोउओनि० थाना सूरवाल सोमा० ने श्यामलाल पुत्र श्री मोतीलाल उम्र 35 साल, मोतीलाल पुत्र श्री नाथूलाल उम्र 68 साल, राजवीर पुत्र श्री मोतीलाल उम्र 21 साल, पूनीराम उर्फ पुरुषोत्तम उम्र 23 साल समस्त जातियान मीणा निवासियान नीदडदा थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार हेमेन्द्रपाल सिंह हैडकानि० 374 थाना मलारना डुंगर सोमा० ने श्री .जगदीश पुत्र रामफूल जाति लुहार उम्र 19 साल निवासी थाने के पास मलारना डूंगर, पप्पू पुत्र रामफूल जाति लुहार उम्र 29 साल निवासी थाने के पास मलारना डूंगर थाना मलारना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार शिवचरन हैड कानि० 324 थाना पीलोदा ने हरकेश पुत्र रामरतन जाति मीना उम्र 42 साल , चरनसिंह पुत्र निर्मोही मीना उम्र 30 साल, ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति मीना उम्र 36 साल निवासीयान पीलोदा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार अनूप सिंह उओनि० थानाधिकारी थाना बाटोदा ने गालीब पुत्र अ.सलाम उम्र 19 साल , शालीब पुत्र शरीफ उम्र 22 साल जातियान मुसलमान निवासीयान बैरखण्डी थाना बाटौदा स.मा.को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

दर्ज मुकदमात का 01 आरोपी गिरफ्तार :-

अनूप सिंह उओनि० थानाधिकारी थाना बाटोदा ने दर्ज मुकदमात का आरोपी रामजीलाल पुत्र श्री नारायण जाति बैरवा उम्र 60 साल निवासी बाढ देहरी थाना बाटौदा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध तेजराम मीणा निवासी विनेगा हाल बैंक मेनेजर एसबीबीजे शाखा विछोछ जिला सोमा० ने दिनांक 02.01.2014 को मु०न०:-01/2014 धारा 420, 467,468,471,120B ता०हि० में थाना बाटोदा पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी